

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या
12/40/2022

प्रवेश तिथि
04-02-2022

निर्णय दिनांक
02.05.2022

1-विजय पुत्र भरता जाति गुर्जर, निवासी ग्राम बघेरी कला, तहसील किशनगढबास,
जिला अलवर।

अपीलान्ट

बनाम

1-राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार किशनगढबास, तहसील किशनगढबास,
जिला अलवर।

रेस्पोजेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश नायब तहसीलदार किशनगढबास दिनांक
24.12.2020 प्रकरण संख्या 12/2020 अन्तर्गत राजस्थान भू0
राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

उपस्थित:-

01. श्री जनार्दन शर्मा
02 राजकीय अभिभाषक

-वकील अपीलान्ट
-वकील रेस्पोजेन्ट

-:: निर्णय ::-

अपीलान्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार किशनगढबास के निर्णय दिनांक
24.12.2020 प्रकरण संख्या 12/2020 के द्वारा वाके ग्राम बघेरी कला, तहसील किशनगढबास
की आराजी खसरा न0 1111 रकबा 0.43 किस्म गै0मु0 रास्ता में से अतिक्रमित रकबा 0.01 है0
भूमि पर बाजरा की फसल बोकर अतिक्रमण किये जाने पर बेदखली की कार्यवाही/पैनल्टी
कायम किये जाने से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया।
विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन
किया है कि आराजी खसरा न0 1111 रकबा 0.01 है0 वाके ग्राम बघेरी कला से बेदखली की
कार्यवाही कर आर्थिक दण्ड से दण्डित कर निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट के विरुद्ध

(Handwritten Signature)
02/05/2022
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

कर्तई गलत तथ्यों के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। वास्तविकता यह है कि आराजी खसरा न0 1111 किस्म गै0मु0 रास्ते से लगती हुई अपीलान्त की सह खातेदारी की आराजी खसरा न0 1055, 1057, 1058 स्थित है। अपीलान्त का कोई कब्जा आराजी खसरा न0 1111 पर नहीं है बल्कि गलत मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका नहीं देखा गया। पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। जो निर्णय काबिल निरस्त है। अपीलान्त की सह खातेदारी की आराजी खसरा न0 1055, 1057, 1058 के संबंध में एक राजस्व वाद हुक्म इम्तनाई का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास के यहां उनवान लक्ष्मीनारायण बनाम हरिसिंह विचाराधीन है। जिसमें स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। जिसमें पक्षकार स्वयं तहसीलदार किशनगढबास है। उक्त सभी तथ्यों की जानकारी अधीनस्थ न्यायालय को दस्तावेजात प्रस्तुत करके करा दी गयी थी किन्तु समस्त दस्तावेजों की अनदेखी करते हुए राजनैतिक दबाव के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त के विरुद्ध निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तैयार की गयी मौका रिपोर्ट दिनांक 02.07.2020 स्पष्ट नहीं है तथा मौका रिपोर्ट में भी अपीलान्त का रास्ते की भूमि में अतिक्रमण नहीं दर्शाया गया है। साथ ही अंकित किया गया है कि लक्ष्मीनारायण, जयनारायण, अपीलान्त विजय, अतरसिंह पुत्रान भरता एक ही परिवार के सदस्य है तथा रकबा 0.01 है0 पर अतिक्रमण बताया गया है जो तार्किक रूप से संभव नहीं है। इस तथ्य की ओर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त कार्यवाही राजनैतिक दबाव में आकर की गयी है। जो विधि विरुद्ध है एवं काबिल निरस्त है।

वकील अपीलान्त की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का चिन्तन-मनन किया गया। अपील में अपीलान्त द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया है कि आराजी खसरा न0 1111 किस्म गै0मु0 रास्ते से लगती हुयी अपीलान्त की सह खातेदारी की आराजी खसरा न0 1055, 1057, 1058 स्थित है। अपीलान्त का कोई कब्जा खसरा न0 1111 पर नहीं है। किन्तु समस्त दस्तावेजों की अनदेखी करते हुये राजनैतिक दबाव के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त के विरुद्ध निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तैयार की गयी मौका रिपोर्ट दिनांक 02.07.2020 स्पष्ट नहीं है तथा मौका रिपोर्ट में भी अपीलान्त का रास्ते की भूमि में अतिक्रमण नहीं दर्शाया गया है।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात एवं तहत अदालत के रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत प्रश्नगत आराजियात खसरा न0 1055, 1057, 1058 के लिए ही अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर रास्ते की पैमाईश हेतु पक्षकारों को स्वतंत्र रखा गया है। तहत अदालत की पत्रावली में संलग्न फर्द नीलामी के अनुसार आराजी खसरा न0 1111 रकबा 0.43 है0 में से 0.01 है0 भूमि पर बाजरा की फसल बोककर अतिक्रमण किया जाना साबित होता है। अपीलान्त रास्ते की पैमाईश के संबंध में नियमानुसार तहसीलदार कार्यालय में आवेदन कर विवादित भूमि की पैमाईश करवाकर अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। अतः पत्रावली पर आए तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्त साबित नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

वकील
02/05/2022
अतिरिक्त जिला कलैक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। अपीलाधीन तहसीलदार किशनगढबास का आदेश दिनांक 24.12.2020 यथावत रखा जाता है। प्रकरण में दिनांक 07.01.2021 को जारी स्थगन आदेश निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ वापिस भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर की कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 02.05.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वंदना खोरवाल)
अति० जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज०)
24.05.2022

